जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकः– जविप्रा / उपा. / जोन–13 / 2015 / डी– 5686 दिनांक 7/9/15

अधिसूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 25 की उपधारा (3) के अनुसरण में प्राधिकरण क्षेत्र के लिए स्वीकृत मास्टर विकास योजना–2025 के आंशिक भाग में निम्नानुसार उपान्तरण का प्रस्ताव हैः–

प्रस्तावित उपान्तरण

राजस्व ग्राम–अचरोल, तहसील–आमेर में साईन्स टैक सिटी / स्पोर्ट्स सिटी योजना कुल क्षेत्रफल 691 एकड़ / 1106 बीघा (280 हैक्टेयर) अनुमोदित है। इस योजना के आंशिक भाग जिसका क्षेत्रफल 592.79 बीघा (150.07 हैक्टेयर) है, में एक समन्वित बहुउद्देशीय योजना जिसमें 18 होल का एक गोल्फ कोर्स, प्रदर्शनी स्थल, कन्वेंशन सेन्टर, होटल्स, विला, रिसोर्ट इत्यादि बनाया जाना प्रस्तावित है। इस 592.79 बीघा भूमि पर इस योजना (गोल्फ कोर्स इत्यादि को शामिल करते हुए) को लाने के प्रस्ताव का अनुमोदन पी.डब्ल्यू.सी की बैठक दिनांक 09.07.2014 मे किया जा चुका है। इस सम्पूर्ण भूमि का भू–उपयोग वर्तमान मास्टर विकास योजना–2025 में पब्लिक–सेमी पब्लिक, संस्थानिक, रिक्रियेशनल (आंशिक), आवासीय (आंशिक), व्यावसायिक (आंशिक) एवं परिसंचरण दर्शित है। अब इस 592.79 बीघा (150.07 हैक्टेयर) भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन कर मास्टर विकास योजना–2025 में इसे गोल्फ कोर्स, रिसोर्ट, आवासीय, प्रदर्शनी स्थल / भवन, कन्वेंशन सेन्टर व वाणिज्यिक हेतु किया जाना है। इस भूमि का लोकेशन मैप जविप्रा की वेबसाईट www.jaipurjda.org पर देखा जा सकता है।

इस प्रस्तावित भू–उपयोग परिर्वतन के संबंध में किसी भी व्यक्ति / संस्था, कार्यालय को आपत्ति हो तो समाचार पत्रों में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की कालावधि के भीतर अपनी आपत्ति / सुझाव सचिव, जविप्रा को कार्यालय दिवस व कार्यालय समय में प्रस्तुत कर सकते है।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 7/9/2015 को जारी की गयी।

7/9/15

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपिः– निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, आयुक्त जविप्रा, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान), जविप्रा, जयपुर।
5. तहसीलदार, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।
6. विशेषाधिकारी (जनसम्पर्क) जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि दो प्रमुख दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की दो–दो प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करावें।
7. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा को अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
8. नोटिस बोर्ड।

उपायुक्त जोन–13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

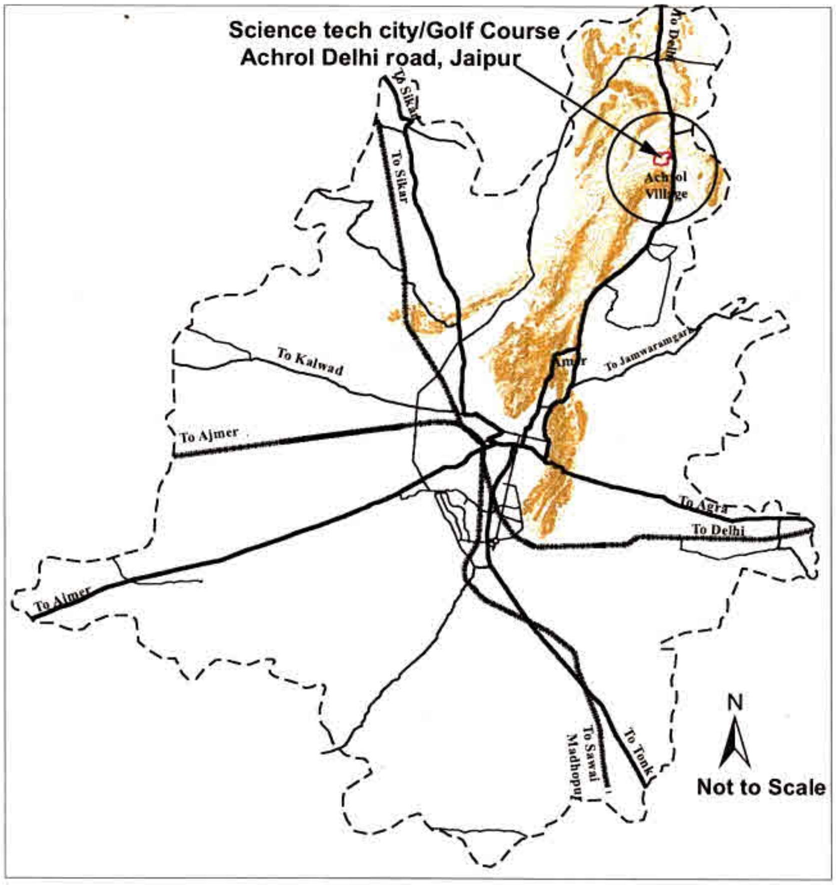
Science tech city/Golf Course
Achrol Delhi road, Jaipur
To Delhi
To Sikar
To Sikar
Achrol Village
To Kalwad
To Jamwaramgarh
To Ajmer
To Agra
To Delhi
To Ajmer
To Sawai Madhopur
To Tonk
N
Not to Scale